उत्तर प्रदेश में सूखा-प्रवण क्षेत्र

3779. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के सूखा-प्रवण क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन सूखा प्रवण क्षेत्रों में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकटस्वामी): (क) उन खण्डों के जिला वार नाम विवरण में दिये गये हैं **(नीचे देखिए)** जिन्हें उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र समझा गया है और जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के समन्वित विकास का कार्य शुरू किया गया है। मुख्य गतिविधियां, जिनसे कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में सीधे मदद मिलती है, ये हैं भू-संरक्षण, भूमि का समतलीकरण और विकास, जल संसाधन, संरक्षण और विकास, वनरोपण, चरागाह, चारा तथा घास वाली भूमि का विकास।

गत तीन वर्षों अर्थात् 1989-90 से 1991-92 के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां इस प्रकार थीं-49954 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि संसाधन विकास, 11266 हैक्टेयर में जल संसाधन विकास तथा 27962 हैक्टेयर में वन रोपण और चरागाह विकास।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 1937,02 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई गई थी।

विवरण

उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले जिलों और खंडों के नाम

	जिले का नाम	खण्ड का नाम
1.	इलाहाबाद	1. शंकर गढ़
2.	अल्मोड़ा	1. भिकियासैंण
		2. द्वाराहाट
3.	बहराइच	1. बलहा
		2. फखरपुर
		3. गिसौरा
		4. हरीहरपुर रानी
		5. हुजूर पुर
		6. इकौना
		7. जारवाल
		8 केसरगंज
		9. महसी
		10. मेहिन पुरवा
		11. नवाबगंज
		12. रुपैरपुर
		13. सिरसिया
		14. ताजवापुर
4.	बांदा	1. बरेखरखुर्द
		2. जसपुरा
		3. कामसहीन
		4. कारवी
		5. मानिकपुर
		6. मऊ
		7. नारणी
		8. पहाड़ी
		9. राम नगर
		10. तिंदवाड़ी
5.	चमोली	1. गैरसैण
		2. जोशीमठ
		3. नारायण बाजार
		4. थराली
6.	गढ़वाल(पौड़ी)	1. टांगू
		2. कल्जीखाल
		3. खिर्सू
		4. कोटा
		5. लैंस डाउन
		6. पाबौ
		7. पौड़ी
		8. थैरली सैंण
		9. बीरों खाल
		10. यमकेश्वर
7.	गोंडा	1. गैसारी
		2. हरैया सगपुरवा
		3. पचपुरवा
		4. तुलसी पुर

1		2
8.	हमीरपुर	1. चरखड़ी 2. कबराई 3. मौधा 4. सरीला 5. सुमेरपुर
9.	जालौन	1. डाकरे 2. कन्दौरा 3. महेवा
10.	झांसी	1. बामौर 2. गुरुसराय 3. मौरनीपुर
11.	लखीमपुर खीरी	1. बिजुवा 2. नगा
12.	ललित पुर	1. बिरधा 2. मदवाय
13.	मिर्जापुर	1. कछनी 2. चतरा (रामगढ़)
14.	पिथौरागढ़	1. बारकोट 2. चम्पावत 3. गंगोली हाट 4. लोहाघाट 5. पिथौरागढ़
15.	सीतापुर	1. बेहटा 2. रिवेसा 3. सरकन
16.	सोनभद्र	1. छन्वे 2. चोपन 3. दुद्धी 4. घोरावल 5. हलिया 6. सिंगरौरपुर 7. नगवा 8. रोबर्टगंज
17.	टिहरी गढ़वाल	1. चम्बा 2. देवप्रयाग 3. कीर्तिनगर
	कुलः 17 जिले	87 खंड

राजस्थान को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धन का अन्यत्र उपयोग

3780. **श्री मूलचंद मीणा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1990 से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस राशि को अन्य शीर्षों में अंतरित किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज के बारे में सूचना वित्तीय वर्षों के आधार पर रखी जाती है। अप्रैल, 1989 से नवम्बर, 1992 तक की अवधि के दौरान राजस्थान को केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 346.72 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

Agreement between India and Finland for wasteland development

3781. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached between India and Finland for cooperation in wasteland development, fuel and fodder management, water conservation and seed technology; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) No, Sir.